

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 गांव/गाँव का नाम कानीवाकी का नाम खाना में
 कु. उदाहरित लता 1180 की व. 136 मी (330 फुट) की ल. कि. वर्तमान राजस्व
 को दखते में अमल कराने व गौनकारी करगोम में राखे जाते हैं।
 यथावत युक्तार रुखा यथावत रखते हुये राखे की करगोम शुद्ध किया
 उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरांपा की जाती है/की जाती है।

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुन्तू (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 2-11-20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | जमाबन्दी सम्यत् | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|---------------|-----------------|-------------|--|---|
| | कानीवाकी टोली | - | - | ख नं 1180 के विभाजन में ख नं 1178 फुटा लख था जिसे नरका में ख में ही काय गया जबकि रक. व 1559/1180 में भी था किभाजत में 1180 फुटा लख रक. जिमा जो | |

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय ली जावे।

राजस्व / 2020 / 741-42

तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी (सुन्तू)
 उदयपुरवाटी (सुन्तू)
 दिनांक :- 2



को सूचनार्थ।